अध्याय - 3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

3.1 बजटीय प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय का विवरण प्रत्येक वर्ष विधानमंडल में रखेगा।

व्यय का अनुमान व्यय के प्रभारित एवं दत्तमत मदों को अलग-अलग दिखाता है तथा राजस्व खातों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा कोई व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बजट की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त में, बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, यह विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमानों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट

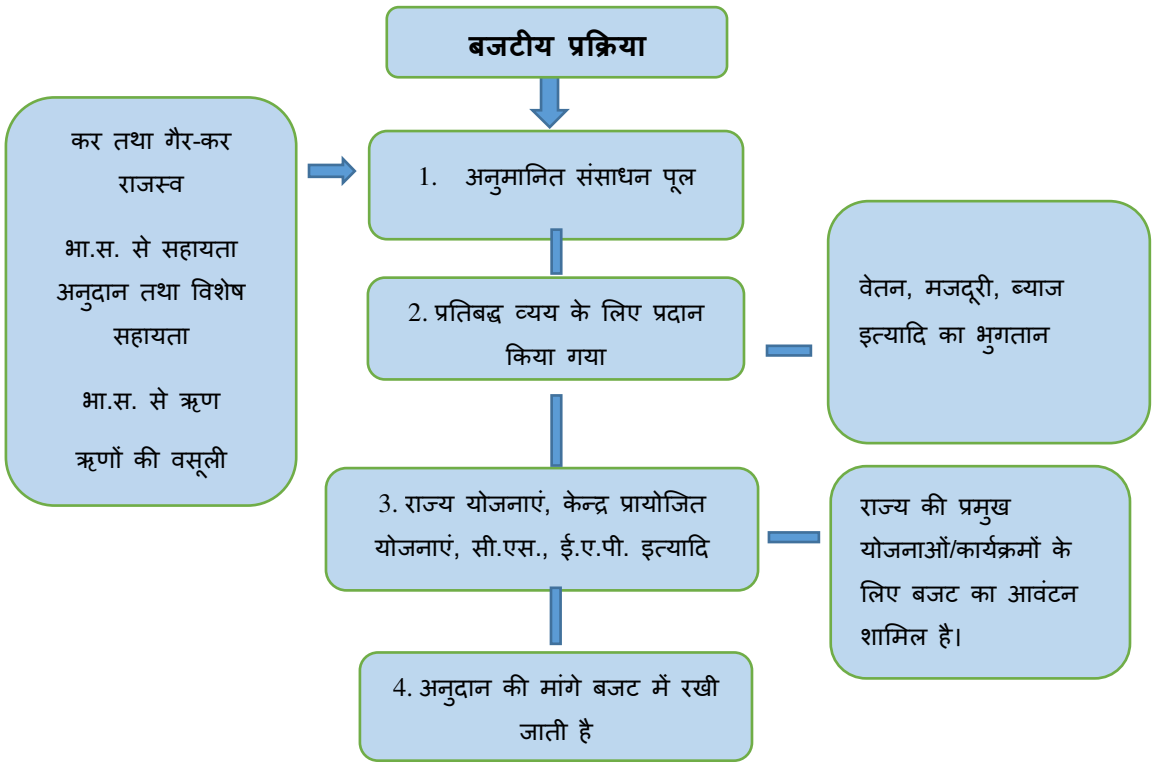

सीएसएस: केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ; सीएस: केन्द्रीय योजनाएँ

विनियोग लेखे बजट निर्माण एवं कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया के साथ आँकड़े अधिकृत करता है **(चार्ट 3.2)**।

चार्ट 3.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट

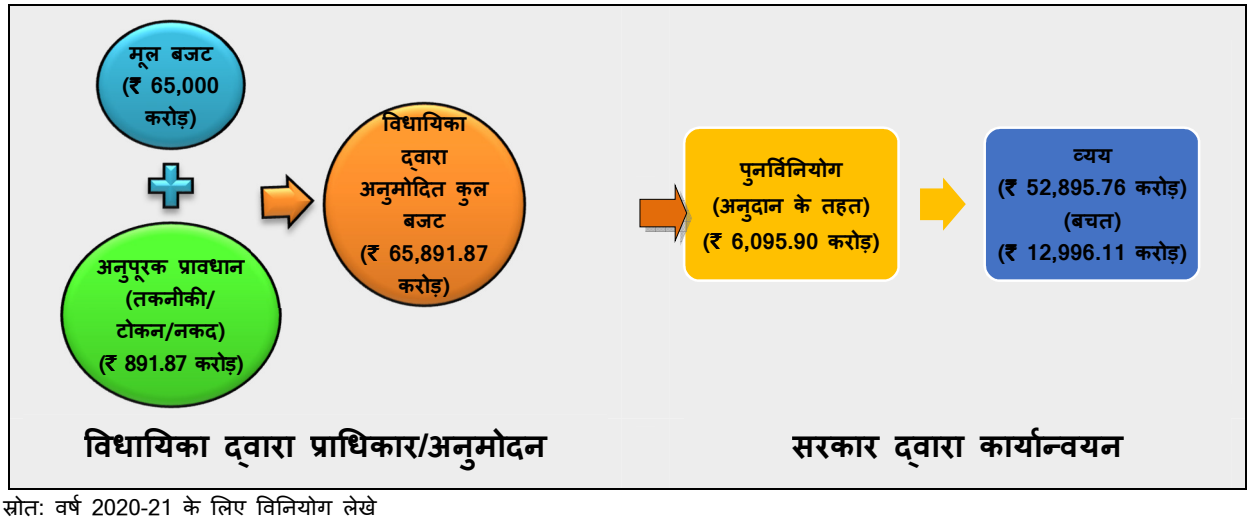

स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की एक संक्षिप्त स्थिति इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन के साथ **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	45,499.47	3,447.09	37,646.07	3,188.28	7,853.40	258.81
पूँजी	9,328.19	1.04	4,705.81	0.04	4,622.38	1.00
लोक ऋण	0.00	3,511.10	0.00	3,265.17	0.00	245.93
ऋण एवं अग्रिम	4,104.98	0.00	4,090.39	0.00	14.59	0.00
कुल	**58,932.64**	**6,959.23**	**46,442.27**	**6,453.49**	**12,490.37**	**505.74**

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए प्रभारित तथा दत्तमत में विभाजित कुल संवितरण का ब्यौरा **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2016-17 से 2020-21 के दौरान संवितरण तथा बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत *(प्रतिशतता में)*	प्रभारित *(प्रतिशतता में)*
2016-17	41,753.68	5,675.59	32,884.90	4,735.87	8,868.78 *(21.24)*	939.72 *(16.56)*
2017-18	44,159.42	5,042.66	36,369.86	4,789.56	7,789.57 *(17.64)*	253.09 *(5.02)*
2018-19	51,230.42	6,946.72	39,460.58	6,793.98	11,679.85 *(22.8)*	152.73 *(2.2)*
2019-20	57,305.74	6,874.94	45,632.91	5,877.12	11,672.83 *(20.37)*	997.82 *(14.51)*
2020-21	58,932.64	6,959.23	46,442.27	6453.49	12,490.37 *(21.19)*	505.74 *(7.27)*

तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट के 'दत्तमत' हिस्से के तहत बचत 17.64 से 22.80 *प्रतिशत* के बीच रही जबकि उसी अवधि में बजट के 'प्रभारित' हिस्से के तहत बचत 2.2 से 16.56 *प्रतिशत* के बीच थी।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत और प्रभारित अनुदान की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पित राशियां तथा पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजी एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं, जो कि विनियोग अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में अधिकृत है। इस प्रकार विनियोग लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे का अनुपूरक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किए गए व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के भीतर है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2020-21 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखे के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है।

विनियोग लेखे की समीक्षा से पता चला कि कुल ₹ 12,996.11 करोड़ (₹ 65,891.87 करोड़ के कुल बजट का 19.72 *प्रतिशत*) की बचत थी तथा ₹ 6,891.87 करोड़ (53.03 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित की गई। बचत को समय पर अभ्यर्पण नहीं करने के कारण कुल बचत का 46.97 *प्रतिशत* व्यपगत हो गया तथा ₹ 6,104.24 करोड़ 31 मार्च को अभ्यर्पित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पित **चार्ट 3.3** मे दिए गए हैं:

चार्ट 3.3: वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पित राशियां

(₹ करोड़ में)

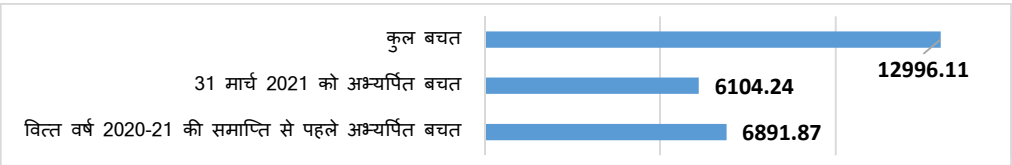

2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल बजट के उपयोग को **चार्ट 3.4** में दिया गया है।

चार्ट 3.4: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट उपयोग

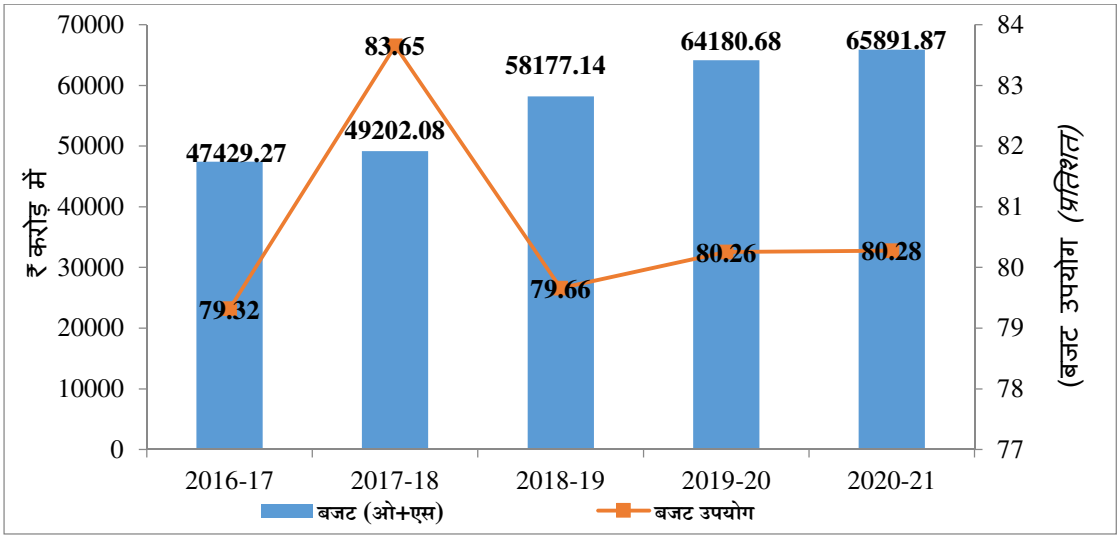

3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक माँग का उपयोग केवल असाधारण और आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना

होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता में पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि सात मामलों में ₹ 604.36 करोड़, जैसा कि **तालिका 3.3** में वर्णित है, के अनुपूरक अनुदान उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य निष्फल हो गया।

तालिका 3.3: उन मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक प्रावधान	व्यय	प्रावधान में से बचत
	राजस्व (दत्तमत)					
1	अनुदान सं.3 न्याय का प्रशासन	1,129.53	62.78	1,192.31	1028.58	163.73
2	अनुदान सं.5 गृह	806.77	25.27	832.04	615.27	216.77
3	अनुदान सं.7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6,345.62	101.4	6,447.02	5611.13	835.89
4	अनुदान सं.10 विकास	3,062.08	280.52	3,342.60	2556.41	786.19
5	अनुदान सं.11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	9,700.44	87.93	9,788.37	9227.70	560.67
	कुल	**21,044.44**	**557.9**	**21,602.34**	**19039.09**	**2563.25**
	राजस्व (प्रभारित)					
6	अनुदान सं.3 न्याय का प्रशासन	307.21	30.78	337.99	300.14	37.85
	कुल	**307.21**	**30.78**	**337.99**	**300.14**	**37.85**
	पूंजीगत (दत्तमत)					
7	अनुदान सं.7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य[1]	266.94	15.68	282.62	115.75	166.87
	कुल	**266.94**	**15.68**	**282.62**	**115.75**	**166.87**
	कुल योग	**21,618.59**	**604.36**	**22,222.95**	**19454.98**	**2767.97**

3.3.2 अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई से अनुदान के भीतर निधियों का हस्तांतरण है, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।

वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि आठ अनुदानों में फैले 16 उप-शीर्षों के तहत, ₹ 15 करोड़ से अधिक की अंतिम बचत थी जैसा कि **तालिका 3.4** में वर्णित है। पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से

[1] पुनर्विनियोग आदेश के अनुसार अनुदान से पूंजीगत अनुभाग के राजस्व अनुभाग में ₹ 15.20 करोड़ पुनर्विनियोजित किए गए जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तथा इसे प्रतिवेदन में अलग से निर्दिष्ट किया गया है।

उपयोग करने में सक्षम नहीं थे तथा ₹ 401.57 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रति ₹ 940.02 करोड़ का संचयी गैर-उपयोग (बचत) हुआ।

तालिका 3.4: निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहाँ अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ मे)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	पुनर्विनियोग के कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
राजस्व-दत्तमत									
1	03-न्याय का प्रशासन	2014.00.105.99 सेशन कोर्ट्स	813.93	1.30	5.02	820.25	754.64	65.61	अधिक स्टाफ की तैनाती और वेतन दर में वृद्धि तथा अधिक खरीद
2		2235.01.800.92 अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजा	50.00	14.84	5.16	70.00	53.70	16.30	अधिक अनुदान निर्गत
3	04-वित्त	2043.00.101.98 वसूली प्रभार	56.31	0.00	0.68	56.99	41.74	15.25	रिक्त पदों की भर्ती
4	05-गृह	2056.00.001.99 जेल स्थापना	368.81	25.23	54.99	449.03	281.68	167.35	रिक्त पदों की भर्ती, वेतन के दरों का संशोधन, खाद्य तथा गैर-खाद्य मदों की लागत की वृद्धि, तिहाड़/रोहिणी/मंडोली जेल परिसरों में सैन्य बलों की तैनाती के दावा किए गए बिलों के बकायों की प्राप्ति तथा अधिक खरीद
5	06-शिक्षा	2203.00.105.86 निर्देशन एवं प्रशासन	175.48	0.01	6.52	182.01	156.33	25.68	रिक्त पदों को भर्ती, एलटीसी का प्रावधान, एमएसीपी/ एसीपी का बकाया, अधिक बिलों की प्राप्ति, बिजली, पानी, टेलीफोन और सुरक्षा एवं स्वच्छता के लंबित बिल के टैरिफ में वृद्धि और छात्रावृत्ति एवं वृत्तिका के वितरण के लिए संस्थानों से अधिक मांग
6	07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.800.84 केंद्रीकृत दुर्घटना एवं ट्रॉमा सेवा के लिए सहायता अनुदान	95.00	0.01	29.99	125.00	74.25	50.75	अधिक अनुदान जारी करना।
7		2210.01.110.86 लोक नायक अस्पताल	511.13	0.01	39.99	551.13	509.04	42.09	न्यूनतम वेतन में वृद्धि, अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, कोविड-19 महामारी के कारण उपभोज्य वस्तुएं और दवाओं की मांग में अचानक वृद्धि

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	पुनर्विनियोग के कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
8		2210.01.110.72.700 बुरारी में विस्तर वाला अस्पताल	0.00	10.08	10.71	20.79	2.89	17.90	नए अस्पताल के लिए किया गया प्रावधान
9	09-उद्योग	3456.00.102.87 मुख्य मंत्री घर-घर राशन योजना	0.00	56.47	43.53	100.00	0.00	100.00	जनवरी 2021 से लागू होने वाली नई योजना
10	10-विकास	2053.00.093.95 सचिव राजस्व	43.81	0.01	3.48	47.30	28.77	18.53	पीटी सैन भंडार की खरीद
11		2235.60.200.62 रक्षा/दिल्ली पुलिस/अर्द्ध सैनिक/होमगार्ड एवं जंगी कार्रवाई/युद्ध में मारे जाने वाले नागरिक सुरक्षा कार्मियों को अनुग्रह राशि का भुगतान	35.00	0.01	29.99	65.00	16.00	49.00	अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए अधिक प्रस्ताव की प्राप्ति
12		2245.05.101.99 दिल्ली आपदा अनुक्रिया कोष (केंद्र का अंश)	0.00	161.50	4.99	166.49	5.00	161.49	दिल्ली आपदा अनुक्रिया कोष बनाने के लिए भा.स. से कोष की प्राप्ति
13		2406.01.102.95 प्रशासन प्रबंधन एवं कार्मिक का प्रशिक्षण	6.19	0.01	46.06	52.26	5.50	46.76	रिक्त पदों को भरना, अधिक बिलों की प्राप्ति, प्रशिक्षण शुरू करना, वाहन किराए पर लेना आदि।
कुल			**2,155.66**	**269.48**	**281.11**	**2,706.25**	**1,929.54**	**776.71**	
पूँजीगत-दत्तमत									
14	07 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.110.96 जी.बी. पंत अस्पताल	10.50	0.02	66.48	77.00	9.12	67.88	अधिक मोटर वाहन/ मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद
15	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	4801.05.800.91 भूमि का क्रय	15.00	0.01	49.99	65.00	5.84	59.16	अधिक भूमि की खरीद हेतु भुगतान
कुल			**25.50**	**0.03**	**116.47**	**142.00**	**14.96**	**127.04**	
राजस्व-प्रभारित									
16	03-न्याय का प्रशासन	2014.00.102.97 निर्देशन एवं प्रशासन	303.00	26.83	3.99	333.82	297.55	36.27	बिलों की प्राप्तियां एवं अधिक खरीद
कुल			**303.00**	**26.83**	**3.99**	**333.82**	**297.55**	**36.27**	
कुल योग			**2,484.16**	**296.34**	**401.57**	**3,182.07**	**2,242.05**	**940.02**	

यह भी देखा जा सकता है कि अधिक निधियों की माँग के लिए उद्धृत कारण सामान्य प्रकृति के थे। निधियों का उपरोक्त अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग त्रुटिपूर्ण बजट अभ्यास का सूचक था।

3.3.3 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 62(2) के अनुसार, बचतों के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अन्त तक प्रतीक्षा किए बिना पूर्वानुमानित होने पर अविलम्ब अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित करके नहीं रखी जानी चाहिए। कुल ₹ 12,996.11 करोड़ की बचत हुई जो कुल बजट ₹ 65,891.87 करोड़ का 19.72 *प्रतिशत* था। इसमें से आठ मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत हुई **(तालिका 3.5)**। ₹ 53,737.57 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 43,176.68 करोड़ था तथा बचत ₹ 10,560.89 करोड़ थी।

तालिका 3.5: वर्ष 2020-21 के दौरान बड़ी बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक) वाली अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व-दत्तमत								
1	अनुदान सं. 6 शिक्षा	13,349.38	0.38	13,349.76	9,823.16	3,526.60	2,187.75	1,338.85
2	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6,330.42	116.60	6,447.02	5,611.14	835.88	0.05	835.83
3	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	8,458.12	0.33	8,458.45	7,431.57	1,026.88	261.71	765.18
4	अनुदान सं. 10 विकास	3,062.08	280.52	3,342.60	2,556.41	786.19	0.57	785.62
5	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	9,700.44	87.93	9,788.37	9,227.70	560.67	0.67	560.00
कुल		**40,900.44**	**485.76**	**41,386.2**	**34,649.98**	**6,736.22**	**2,450.75**	**4,285.48**
पूंजीगत-दत्तमत								
6	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	1,650.86	0.01	1,650.87	907.28	743.59	711.48	32.11
7	अनुदान सं. 10 विकास	1,015.93	0.00	1,015.93	187.90	828.03	774.01	54.02
8	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	9,684.34	0.23	9,684.57	7,431.52	2,253.05	1,866.96	386.09
कुल		**12,351.13**	**0.24**	**12,351.37**	**8,526.7**	**3,824.67**	**3,352.45**	**472.22**
कुल योग		**53,251.57**	**486.00**	**53,737.57**	**43,176.68**	**10,560.89**	**5,803.20**	**4,757.70**

इसके अलावा, **तालिका 3.5** से यह देखा जा सकता है कि मूल बजट प्रावधान में से ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत के बावजूद, पूरक प्रावधान प्राप्त किए गए (क्रम संख्या 7 को छोड़कर)।

बचत की प्रतिशतता **(चार्ट 3.5)** द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों **(तालिका 3.5)** की संख्या के वितरण से पता चलता है कि तीन अनुदानों में बचत कुल प्रावधान राशि ₹ 6,565.84 करोड़ का 21 से 40 *प्रतिशत* थी। हालांकि, एक अनुदान (पूँजीगत दत्तमत खंड का अनुदान सं. 10 - विकास) में ₹ 828.03 करोड़ (81.50 *प्रतिशत*) की बचत थी।

चार्ट 3.5: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या

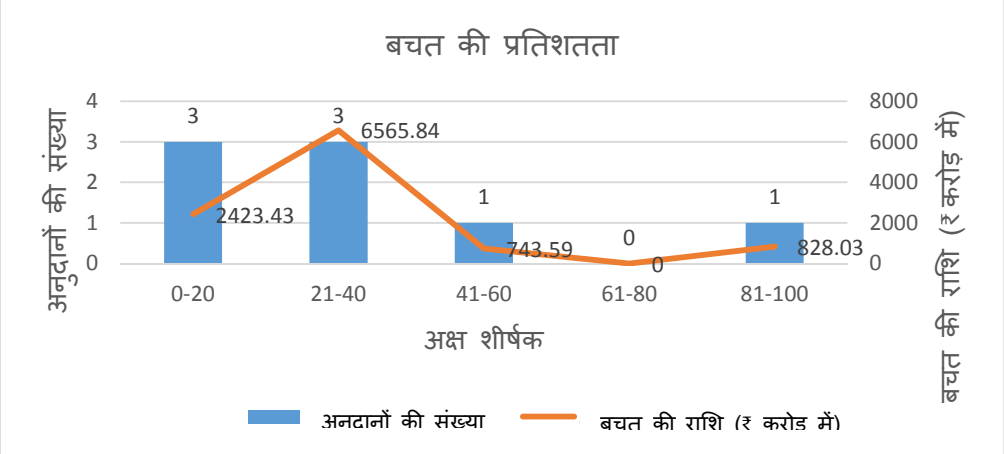

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि 9 अनुदानों में ₹ 10,197.33 करोड़ की कुल बचत थी, जिसमें से ₹ 6,881.68 करोड़ (₹ 10 करोड़ से अधिक) की राशि मार्च के अंत में अभ्यर्पित कर दी गई जैसा कि **तालिका 3.6** में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.6: मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित
राजस्व-दत्तमत							
1	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन	918.98	0.04	919.02	447.21	471.81	45.40
2	अनुदान सं. 4 वित्त	315.58	0.06	315.64	228.64	87.00	22.93
3	अनुदान सं. 6 शिक्षा	13349.38	0.38	13349.76	9823.16	3526.60	2187.75
4	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	8458.12	0.33	8458.45	7431.57	1026.88	261.71
कुल		**23042.06**	**0.81**	**23042.87**	**17930.58**	**5112.29**	**2517.79**

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित
राजस्व-प्रभारित							
5	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	27.05	0.04	27.09	0.25	26.84	18.89
6	अनुदान सं. 15 लोक विभाग	3061.88	0.00	3061.88	2873.83	188.05	188.04
कुल		**3088.93**	**0.04**	**3088.97**	**2874.08**	**214.89**	**206.93**
पूँजीगत-दत्तमत							
7	अनुदान सं. 4 वित्त	4.00	262.01	266.01	5.67	260.34	256.51
8	अनुदान सं. 5 गृह	115.30	0.00	115.30	10.83	104.47	90.32
9	अनुदान सं. 6 शिक्षा	388.14	0.01	388.15	120.27	267.88	174.30
10	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	282.14	0.48	282.62	115.76	166.86	37.45
11	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	1650.86	0.01	1650.87	907.28	743.59	711.48
12	अनुदान सं. 10 विकास	1015.93	0.00	1015.93	187.90	828.03	774.01
13	अनुदा सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	9684.34	0.23	9684.57	7431.52	2253.05	1866.96
कुल		**13140.71**	**262.74**	**13403.45**	**8779.23**	**4624.22**	**3911.03**
पूँजीगत-प्रभारित							
14	अनुदान सं. 15 लोक विभाग	3511.10	0.00	3511.10	3265.17	245.93	245.93
कुल		**3511.10**	**0.00**	**3511.10**	**3265.17**	**245.93**	**245.93**
कुल योग		**42782.80**	**263.59**	**43046.39**	**32849.06**	**10197.33**	**6881.68**

जिन अनुदानों में बजट का 50 *प्रतिशत* से कम उपयोग हुआ, उन्हें **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: मूल अनुदानों/विनियोगों (₹ 200 करोड़ से अधिक) जिसमें बजट उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम थी

(प्रतिशत में)

क्र.स.	अनुदान सं. एवं नाम	बजट उपयोगिता की प्रतिशतता					वर्षों की संख्या	बजट 2020-21	पांच वर्षों के लिए कुल बजट
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21			
1.	2-सामान्य प्रशासन विभाग	54.70	67.51	38.85	74.74	49.21	2	935.10	3233.12
2.	4-वित्त	70.81	39.81	24.00	53.19	40.28	3	581.75	4194.11

यह देखा जा सकता है कि दो अनुदान (2-सामान्य प्रशासन विभाग और 4-वित्त) थे, जिसमें पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2016-17 से 2020-21 के दौरान दो से तीन वर्ष की बजट उपयोगिता 50 *प्रतिशत* से कम था।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

वित्तीय नियम/बजट नियमावली उन मामलों को छोड़कर अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान को प्रतिबंधित करती है, जहाँ आकस्मिक स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय प्रदान किए जाते हैं जिसे वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने चार अनुदानों के अंतर्गत कुल एकमुश्त बजटीय प्रावधान **₹** 213.06 करोड़ में से **₹** 186.85 करोड़ व्यय किए। व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता को भंग करता है। आगे, प्रत्यायोजन वित्तीय शक्ति नियम 1978 के नियम 3 के उप नियम 6 के अनुसार ₹ 10 लाख से कम लागत वाले कार्यों को छोड़कर आम तौर पर बजट में कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि चार अनुदानों के अधीन 18 मामलों में जैसा कि **तालिका 3.8** में विस्तृत किया गया है, धनराशि ₹ 10 लाख की निर्धारित सीमा को पार कर गई थी। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया कि अनुदान संख्या 10 और अनुदान संख्या 11 के उपशीर्षों के तहत समरूप एक मुश्त प्रावधान पिछले वर्ष भी किए गए थे।

तालिका 3.8: वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	कथित उद्देश्य
1.	3-न्याय का प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	2014.00.105.97.00.42	1.20	0.02	जिला तथा सेशन अदालतों का कम्प्युटरीकरण
2.	7-जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (राजस्व-दत्तमत)	2210.06.800.70.00.42	10.00	1.05	अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत
3.	10-विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	5425.00.208.84.00.42	0.15	0.00	हॉर्टिकल्चर वर्क्स
4.	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूंजीगत-दत्तमत)	4055.00.212.90.0042	1.00	0.68	दिल्ली फॉरेंसिक साईन्स लेबोरेटरी
5.		4059.60.051.80.90.42	67.23	67.22	न्यायपालिका के लिए ढ़ांचागत सुविधाएं
6.		4070.00.800.89.00.42	15.00	13.43	केन्द्रीय कारावास भवन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	कथित उद्देश्य
7.		4202.01.800.97.00.42	8.00	6.75	मौजूदा भवन का नवीनीकरण कार्य
8.		4202.02.105.87.00.42	0.70	0.39	गवर्मेन्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, जाफरपुर
9.		4202.02.105.85.00.42	0.75	0.58	गीता कॉलोनी में इंजीनियरिंग कॉलेज
10.		4202.02.105.88.00.42	1.50	1.17	जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज
11.		4202.03.800.89.00.42	49.58	43.44	खेल के मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वीमिंग पूल आदि का विकास
12.		4202.04.101.99.00.42	1.45	1.20	आर्ट कॉलेज
13.		4202.04.104.96.00.42	4.50	1.72	आर्चिण विभाग
14.		4210.03.102.98.00.42	2.50	1.01	होम्योपैथिक की स्वास्थ्य देखभाल सेवा का विकास
15.		4235.02.101.87.00.42	1.00	0.76	मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए आश्रय का विकास
16.		4235.02.104.94.00.42	4.00	3.46	वृद्धाश्रम
17.		4235.02.800.90.00.42	2.50	2.07	मौजूदा भवन (लो.नि.वि.) में अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान
18.		5054.04.800.99.00.42	42.00	41.90	सड़क तथा पूलों का निर्माण
कुल योग			**213.06**	**186.85**	

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.5 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर आन्तरिक नियंत्रण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आवंटन की ओर ले जाता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ₹ 65,891.87 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 52,895.76 करोड़ का उपयोग कर सके तथा मार्च में ₹ 12,996.11 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 6,104.24 करोड़ (46.97 प्रतिशत) की बचत को अभ्यर्पित कर दिया गया था। विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-)	मार्च के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I. राजस्व	44,655.56	843.91	45,499.47	37,646.07	7,853.40	5,329.41	67.86
	II. पूंजीगत	9,997.80	(-)669.61	9,328.19	4,705.81	4,622.38	709.34	15.35
	III. ऋण एवं अग्रिम	3,419.63	685.35	4,104.98	4,090.39	14.59	14.59	100.00
कुल दत्तमत		**58,072.99**	**859.65**	**58,932.64**	**46,442.27**	**12,490.37**	**6,053.34**	
प्रभारित	I. राजस्व	3,414.91	32.18	3,447.09	3,188.28	258.81	50.80	19.63
	II. पूँजीगत	1.00	0.04	1.04	0.04	1.00	0.10	10.00
	लोक ऋण	3,511.10	0.00	3,511.10	3,265.17	245.93	0	0
	III. ऋणों एवं अग्रिमों	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित		**6,927.01**	**32.22**	**6,959.23**	**6,453.49**	**505.74**	**50.90**	10.06
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**65,000.00**	**891.87**	**65,891.87**	**52,895.76**	**12,996.11**	**6,104.24**	**46.97**

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2020-21 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए ₹ 65,000 करोड़ के मूल बजट को संशोधित करके ₹ 65,891.87 करोड़ कर दिया गया जिसके प्रति वास्तविक व्यय ₹ 52,895.76 करोड़ था। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के विवरणों को **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: 2016-17 से 2020-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	46,600.00	48,000.00	53,000.01	60,000.00	65,000.00
अनुपूरक बजट	829.27	1,202.08	5,177.13	4,180.68	891.87
संशोधित अनुमान	47,429.27	49,202.08	58,177.14	64,180.68	65,891.87
वास्तविक व्यय	37,620.77	41,159.42	46,344.56	51,510.03	52,895.76
बचत/आधिक्य	9,808.50	8,042.66	11,832.58	12,670.65	12,996.11
बचत की प्रतिशतता	20.68	16.35	20.34	19.74	19.72
मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक की प्रतिशतता	1.78	2.50	9.77	6.97	1.37

स्रोत: बजट एक नज़र में तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.10 से यह देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल प्रावधान की तुलना में कुल बचत की प्रतिशतता 16.35 *प्रतिशत* से 20.68 *प्रतिशत* के बीच थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व व्यय (वास्तविक) में वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लेखाशीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमान के आंकड़े **तालिका 3.11** में दिये गए हैं।

तालिक 3.11: रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान तथा राजस्व व्यय (वास्तविक) की तुलना

व्यय शीर्ष (लेखाओं के मुख्य शीर्ष)	ब.अ. (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान तथा वास्तविक अनुमान में अंतर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राजकोषीय सेवायें				
राज्य उत्पाद	51.24	24.77	(-)26.47	(-)51.66
वाहनों पर कर	288.26	174.90	(-)113.36	(-)39.33
जी.एस.टी. के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	135.42	69.19	(-)66.23	(-)48.91
प्रसासनिक सेवायें				
जेल	530.21	293.30	(-)236.91	(-)44.68
लोक निर्माण	512.93	690.00	(+)177.07	(+)34.52
सामाजिक सेवायें				
सामान्य शिक्षा	12,948.56	9,265.00	(-)3,683.56	(-)28.45
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8,474.29	5,790.40	(-)2,683.89	(-)31.67
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,630.50	1,891.57	(+)261.07	(+)16.01
शहरी विकास	1,034.69	830.29	(-)204.40	(-)19.75
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,685.36	3,011.25	(-)674.11	(-)18.29
आर्थिक सेवायें				
नागरिक आपूर्ति	449.28	513.31	(+)64.03	(+)14.25
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	281.34	210.54	(-)70.80	(-)25.17
ऊर्जा	3,117.41	2,956.34	(-)161.07	(-)5.17
संड़कें तथा पुल	536.80	449.50	(-)87.30	(-)16.26
सड़क परिवहन	4,744.25	4,095.86	(-)648.39	(-)13.67

तालिका 3.11, देखा जा सकता है कि 'सामान्य शिक्षा', चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी में कमी (25 *प्रतिशत* से अधिक) थी।

3.5.2 बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

योजना के दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न करने आदि के कारण सरकार द्वारा की गई अनेक नीतिगत पहल अंशतः अथवा पूर्णतः निष्पादित नहीं हुई थीं। यह लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अन्तर्गत 88 उप-शीर्षों में, ₹ 864.82 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान

विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया **(परिशिष्ट-3.1)**।

सम्पूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य का द्योतक थीं कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जाँच के बाद आकलन तैयार नहीं किए गया था। योजनाएँ जो सम्पूर्ण प्रावधान के गैर-उपयोग होने के कारण शुरू नहीं हुई वे थीं दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित नगर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस सर्विस सोसायटी को स.अ. (निर्भया कोष) (सीएसएस) (₹ 284.50 करोड़), आउटरीच कार्यक्रम के लिए दिल्ली मॉडल ऑफ गर्वनेस को (₹ 21.00 करोड़), अ.जा. छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (सीएसएस) हेतु (₹ 10.00 करोड़), मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना हेतु (₹ 78.00 करोड़), मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (₹ 100.00 करोड़), तथा विभिन्न नम स्थलों पर डंप किए गए पुराने कचरे का निपटान हेतु स.अ. (₹ 50.00 करोड़) दी गई।

आगे, यह देखा गया कि सात अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) के 46 उप-शीर्षों में मूल बजट **(परिशिष्ट-3.2)** में ₹ 1,002.55 करोड़ का प्रावधान था परन्तु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित परिव्यय में धनराशि की पूरी निकासी की गई थी।

3.5.3 व्यय का द्रुतप्रवाह

i) जीएफआर, 2017 का नियम 62(3) उपबंध करता है कि व्यय के द्रुतप्रवाह को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इसे टाला जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय भा.स. के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिमाही और अंतिम महीने अर्थात् वित्तीय वर्ष के मार्च में व्यय को बजट के क्रमशः 25 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2020-21 के दौरान ₹ 52,468.04[2] करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 21,019.73 करोड़ (ब.अ. का. 31.90 *प्रतिशत*) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि ₹ 11,815 करोड़ (ब.अ. का. 17.93 *प्रतिशत*) मार्च 2021 के दौरान व्यय किए गए थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ अनुदानों के अंतर्गत 41 उप-शीर्षों में व्यय जो 50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच था, मार्च में किया गया था।

[2] ₹ 427.72 करोड़ की वसूली को छोड़कर

पिछले तिमाही के दौरान व्यय का द्रुतप्रवाह, मुख्य रूप से मार्च महीने के दौरान, व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देता है।

ii) उप-शीर्ष जहाँ सम्पूर्ण व्यय मार्च 2021 में किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच अनुदानों के अंतर्गत 13 उप-शीर्षों में ₹ 2,621.37 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2021 में किया गया जैसा कि विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है:

तालिका 3.12: मार्च के महीने में किया गया सम्पूर्ण व्यय

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान 100 *प्रतिशत* व्यय (₹ करोड़ में)
1	6 - शिक्षा	2202.02.113.95.00.01 समग्र शिक्षा-शिक्षकों की शिक्षा (राज्य का अंश)	17.50
2	7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.76.00.31 भारत के लिए स.अनु. कोविड-19	221.34
3	8 - **समाज कल्याण**	2225.01.277.71.00.50 पब्लिक स्कूल में अध्यायन शुल्क की प्रतिपूर्ति	11.39
4		3055.00.190.99.00.33 रियायती पासों के लिए दि.प.नि. को सब्सिडी	78.82
5		5055.00.190.78.00.54 दि.प.नि. एवं क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों का संस्थापन (राज्य का अंश)	75.59
6		5055.00.190.80.00.54 एम.आर.टी. प्राधिकरण को शेयर पूँजी	500.00
7		7055.00.190.92.00.55 डीएमआरसी को राज्य करों के प्रति ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	125.00
8		7055.00.190.94.00.55 केंद्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण	125.00
9	10 - विकास	4515.00.103.93.00.53 ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के तहत कार्यों के लिए ग्राम विकास बोर्ड	38.88
10	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.82.00.53 आश्रम से डीएनडी तक फ्लाईओवर का विस्तार	12.85
11		6215.01.191.80.00.55 वजीराबाद डब्ल्यूटीपी के लिए दि.ज.बो. को ऋण	15.00
12		6217.60.789.94.00.55 स्वस्थानी पुनर्वास योजना के लिए डीयूएसआईबी को ऋण	500.00
13		7615.00.200.75.00.55 वेज एण्ड मिन्स सपोर्ट के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	900.00
कुल			**2,621.37**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

iii) केवल मार्च में 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय के साथ अनुदान

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ अनुदानों के अंतर्गत 28 उप-शीर्षों में, कुल व्यय का 52.46 *प्रतिशत* से 99.93 *प्रतिशत* के बीच ₹ 2,104.89 करोड़ का व्यय मार्च 2021 में किया गया था जैसा कि **तालिका 3.13** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	विवरण	कुल व्यय					मार्च 2021 में कुल व्यय	
		(लेखा शीर्ष)	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	कुल	राशि	प्रतिशतता
1	2 - सामान्य प्रशासन	2051.00.103.98.00.50	0.00	0.15	0.51	23.71	24.37	20.28	83.22
2	3 -न्याय का प्रशासन	2015.00.106.99.00.13	0.00	0.00	0.60	16.58	17.18	15.34	89.27
3	3 -न्याय का प्रशासन	2235.01.800.92.00.31	0.00	0.00	12.50	41.20	53.70	41.20	76.72
4	3 -न्याय का प्रशासन	4059.01.051.82.00.53	0.00	0.00	0.00	16.01	16.01	16.00	99.93
5	5 - गृह	2056.00.001.99.00.28	0.17	0.19	0.24	51.94	52.54	51.80	98.59
6	6 - शिक्षा	2202.01.113.97.00.31	0.00	12.00	23.38	66.69	102.07	66.69	65.33
7	6 - शिक्षा	2202.01.113.98.00.31	0.00	10.67	16.07	53.14	79.87	53.14	66.53
8	6 - शिक्षा	2202.01.113.98.00.36	0.00	3.30	0.00	28.80	32.10	28.80	89.72
9	7 -चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.110.97.00.52	1.11	2.25	4.20	17.55	25.10	15.92	63.43
10	8 - समाज कल्याण	2235.02.103.33.00.50	0.10	1.01	8.81	70.70	80.61	60.84	75.47
11	8 - समाज कल्याण	2235.02.789.96.00.50	3.52	3.19	4.44	29.43	40.58	26.21	64.60
12	8 - समाज कल्याण	3055.00.190.93.00.33	0.00	27.54	17.20	57.45	102.18	57.45	56.22
13	8 - समाज कल्याण	3055.00.190.94.00.33	0.00	35.59	19.02	60.26	114.86	60.26	52.46
14	10 - विकास	4711.03.800.99.00.53	0.00	0.00	0.00	89.87	89.87	87.71	97.59
15	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2217.04.789.99.00.31	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	12.00	66.67
16	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4059.01.051.75.00.53	0.00	0.00	0.00	21.91	21.91	12.46	56.86
17	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.050.95.00.53	0.00	0.00	297.15	693.11	990.26	691.06	69.79
18	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.051.96.00.53	0.00	0.00	1.80	36.21	38.01	30.03	79.02
19	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.789.98.00.53	0.00	0.00	4.98	16.28	21.25	15.18	71.41
20	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.97.00.53	0.00	0.64	6.64	12.52	19.80	12.52	63.23
21	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.72.00.55	0.00	12.50	0.00	37.50	50.00	37.50	75.00
22	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.74.00.55	0.00	5.00	0.00	15.00	20.00	15.00	75.00
23	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.75.00.55	0.00	22.50	0.00	67.50	90.00	67.50	75.00
24	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.76.00.55	0.00	25.00	0.00	65.00	90.00	65.00	72.22

क्र. सं.	अनुदान सं.	विवरण	कुल व्यय					मार्च 2021 में कुल व्यय	
		(लेखा शीर्ष)	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	कुल	राशि	प्रतिशतता
25	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.78.00.55	0.00	25.00	0.00	55.00	80.00	55.00	68.75
26	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.79.00.55	0.00	40.00	0.00	120.00	160.00	120.00	75.00
27	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.02.191.85.00.55	0.00	15.00	0.00	45.00	60.00	45.00	75.00
28	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.02.191.86.00.55	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	325.00	59.09
कुल			**4.90**	**241.52**	**417.52**	**2,376.35**	**3040.27**	**2104.89**	

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 3.6: वि.व. 2020-21 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय

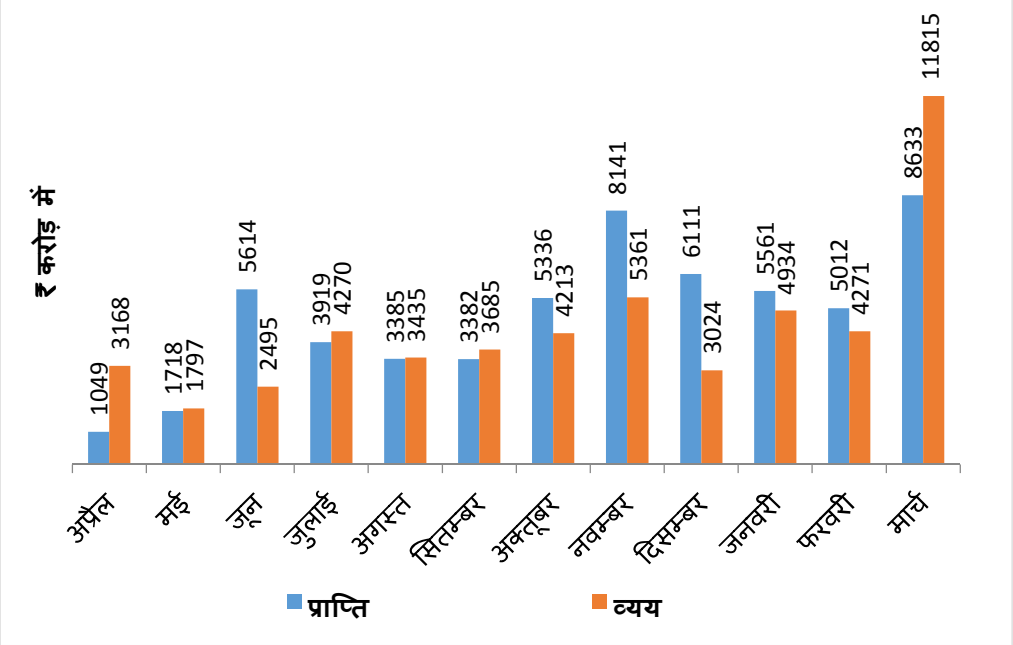

उपरोक्त तालिका/ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार प्राप्तियां ₹ 57,860 करोड़ की कुल प्राप्तियों के 1.81 *प्रतिशत* (अप्रैल) से 14.92 *प्रतिशत* (मार्च) के बीच थीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार व्यय कुल व्यय ₹ 52,468 करोड़ के 3.43 *प्रतिशत* (मई) से 22.52 *प्रतिशत* (मार्च) के बीच था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण के संबंध में व्यय की उच्च प्रतिशतता मार्च महीने में थी जैसा कि **चार्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: मार्च 2021 में व्यय की बहुत उच्च प्रतिशतता के साथ अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण का माह-वार व्यय

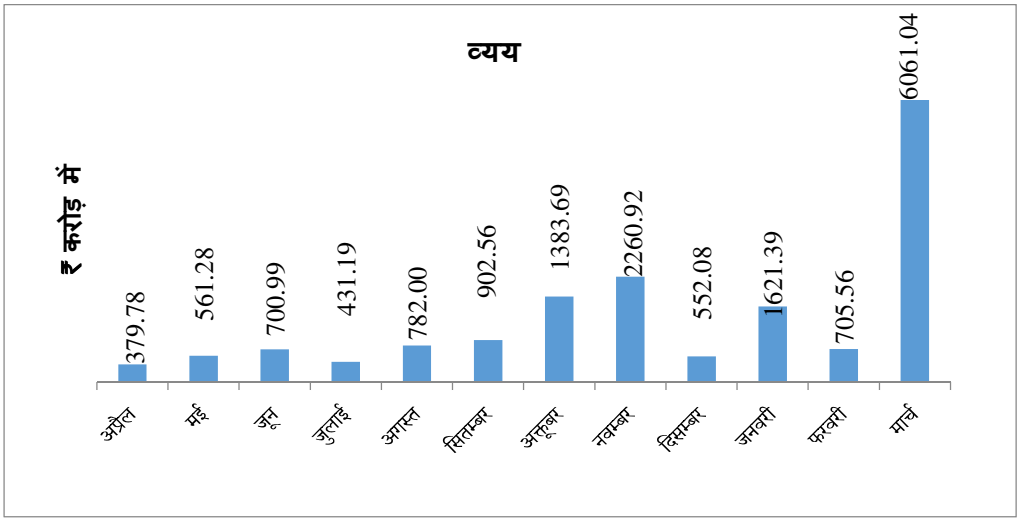

लेखापरीक्षा ने देखा कि शहरी विकास एवं लोक निर्माण (अनुदान सं. 11) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम महीने में कुल व्यय का 37.09 *प्रतिशत* व्यय किया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंत में व्यय का द्रुतप्रवाह खराब बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.5.4 अनुदान की उपयोगिता में कमी (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

रा.रा.क्षे. दिल्ली ने ₹ 348.68 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी थी जिसे आठ अनुदानों के 17 उप-शीर्षों के तहत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (स.अ.) के तहत संशोधित कर ₹ 335.29 करोड़ कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष के दौरान ₹ 335.29 करोड़ के प्रति केवल ₹ 8.53 करोड़ प्राप्त हुए (₹ 1.00 करोड़, ₹ 2.53 करोड़ तथा ₹ 5.00 करोड़ क्रमशः 16 सितम्बर 2020, 15 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2021) विवरण **परिशिष्ट 3.3** में हैं।

3.5.5 अनुदान सं. 9 - 'उद्योग' का परिणाम

बजटीय प्रक्रियाओं, निधियों की निगरानी तथा अनुदान के भीतर नियंत्रण तंत्र के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रक्रिया तथा 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए अनुदान सं. 9 - 'उद्योग' के संबंध में व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। अनुदान 'उद्योग विभाग', रोजगार विभाग, 'श्रम विभाग', 'खाद्य एवं नगरिक आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता मामले' तथा 'भार एवं माप विभाग' को सौंपे गए थे। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे देखे गए।

(i) विगत तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय एवं बचतों की संपूर्ण स्थिति **तालिका 3.14** में दी गयी है:

तालिका 3.14: बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

	प्रावधान		व्यय किया गया		बचत	
वर्ष	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2018-19	447.03	0.14	159.57	0.00	287.46	0.14
2019-20	454.63	0.14	204.67	0.01	249.96	0.13
2020-21	796.12	0.06	639.46	0.00	156.66	0.06

(ii) वर्ष 2020-21 के दौरान एक मामले में ₹ 56.47 करोड़ के अनुपूरक अनुदान का प्रावधान था जबकि अनावश्यक अनुपूरक अनुदान बनाते समय अन्तिम व्यय शून्य था।

(iii) नौ मामलों में पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों को पूर्णरूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप, इन मामलों में ₹ 115.88 करोड़ की बचत हुई।

(iv) 2018-19 से 2020-21 के दौरान अनुदान के अंतर्गत चार मामलों/उपशीर्षों में ₹ 50 लाख या उससे अधिक की लगातार बचत थी जो अवास्तविक बजट एवं अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है। बचत रिक्त पदों को न भरने, दस्तावेज सत्यापन के अभाव में नव-नियुक्त कनिष्ठ सहायक के वेतन की गैर-निकासी, क्रय-प्रस्ताव न बनाए जाने इत्यादि के कारण थीं।

(v) 2018-19 से 2020-21 तक के वर्षों के लिए अनुदान के खण्ड-वार विनियोग लेखे की संवीक्षा से राजस्व-दत्तमत खण्ड में 19 से 64 *प्रतिशत* और राजस्व प्रभारित खण्ड में 93 से 100 *प्रतिशत* की लगातार बचत का पता चला जबकि पूंजीगत-दत्तमत खण्ड में बचत कुल अनुदान का 91 से 97 *प्रतिशत* थी जो अवास्तविक बजट एवं अपूर्ण वित्तीय प्रावधान को दर्शाती है।

(vi) उप-शीर्षों 10, 6 तथा 15 में क्रमशः वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान, लो.नि.वि. द्वारा कार्य का आरम्भ न किया जाना, नवीकरण के लिए अनुमानों का अभाव, महामारी के कारण योजना का गैर-समापन इत्यादि, के कारण अनुपयोगी रहा। सम्पूर्ण प्रावधानों की बचत इस तथ्य का घोद्तक था कि प्राक्कलन वास्तविक आवश्यकता का पर्याप्त रूप से आकलन किए बिना तथा प्रासंगिक परियोजनाओं/योजनाओं की अनुचित संवीक्षा से तैयार किए गए थे।

(vii) जीएफआर, 2017 का नियम 62(3) प्रबंध करता है कि व्यय का द्रुतप्रवाह, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय व्यय का उल्लंघन माना जाता है और इसे टाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अंतिम तिमाही में विभागों द्वारा उप-शीर्षों 2 एवं 5 में किया गया व्यय कुल व्यय का 72.22 से 74.55 *प्रतिशत* तथा 90 से 100 *प्रतिशत* के बीच रहा जबकि 3 उपशीर्षों में वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग ने वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 100 *प्रतिशत* व्यय किया था।

3.5.6 अन्य अनियमितताएँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वित्तीय वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे की अनुदान सं. 01 से 15 की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित लेखापरीक्षा उपलब्धियां पाई गईः-

1. अनुदान/मांग सं. 09 में शीर्ष "3456.00.102.98.00.50-गरीबी रेखा से नीचे केन्द्रित करते हुए जन वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाने" से शीर्ष "3456.00.102.88.00.50-मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना" में ₹ 15.00 करोड़ की धनराशि पुनर्विनियोग किए गए थे। हालांकि, अनुदान सारणी केवल ₹ 33.45 करोड़ के अनुपूरक अनुदान को दर्शा रही थी तथा विनियोग लेखे में ₹ 15.00 करोड़ के पुनर्विनियोग की धनराशि नहीं दर्शा रही थी।

   मामला अक्तूबर 2021 में वित्त विभाग को भेजा गया था लेकिन कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2021)।

2. डी.एफ.पी.आर. के नियम 10 के अधीन भारत सरकार के निर्णय की क्रम सं. 4 के अनुसार, पुनर्विनियोग की धनराशि राजस्व से पूंजीगत में तथा पूंजीगत से राजस्व में केवल विधानसभा के अनुमोदन के पश्चात् ही अनुमत्य किया जा सकेगा।

   वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्विनियोग आदेशों की संवीक्षा से पता चला कि अनुदान सं. 07 में ₹ 15.20 करोड़ की धनराशि पूंजीगत-दत्तमत से राजस्व-दत्तमत में पुनर्विनियोजित की गई थी। प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा विधानसभा का अनुमोदन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

   मामला वित्त विभाग को अक्तूबर 2021 में भेजा गया था परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2021)।

3.6 अनुशंसाएँ

1. सरकार को विभागों की जरूरतों एवं आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है;

2. बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचत नियंत्रित होती है, और अनुमानित बचत की पहचान की जाती है एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित कर दिया जाता है।